न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्याः—491/2016/223 (2016/00491)

1. देवीसिंह पुत्र स्व0 लादूसिंह,
2. चावण्डसिंह पुत्र स्व0 लादूसिंह,
3. श्रीमती प्रेमकंवर पत्नि स्व0 लादूसिंह,
4. गोरधनसिंह पुत्र स्व0 चतरसिंह,
5. नारायणसिंह पुत्र स्व0 चतरसिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम बाड़ी तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. संजय कुमार पुत्र स्व00 मदनलाल,
2. अक्षय कुमार पुत्र स्व0 मदनलाल,
3. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मदनलाल,
   समस्त जाति सैन, निवासी बस स्टेण्ड, शर्मा कॉलोनी, बिजयनगर, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजयनगर, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बिजयनगर, जिला अजमेर ।
7. श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री स्व0 लादूसिंह पत्नि हरिसिंह, निवासी देवली पुर, जिला भीलवाड़ा ।
8. श्रीमती पुष्पा कंवर पुत्री स्व0 लादूसिंह, पत्नि गोपालसिंह, निवासी देवली—पुर, जिला भीलवाड़ा ।
9. श्रीमती घनश्याम कंवर पुत्री स्व0 लादूसिंह पत्नि सम्पतसिंह, नि0 ग्राम किशनावतों की खेड़ी, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 21.9.2016 अंतर्गत वाद संख्या 16/2003.

उपस्थितः—

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस।
2. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3
3. रेस्पो0 संख्या 9 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 से 6.

(2) अपील संख्याः–507/2016/223 (2016/00507)

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, विजयनगर, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, विजयनगर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. संजय कुमार पुत्र स्व0 मदनलाल सैन,
2. अक्षय कुमार पुत्र स्व0 मदनलाल सैन,
3. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मदनलाल सैन,
   समस्त जाति सैन, निवासी बस स्टेण्ड, शर्मा कॉलोनी, विजयनगर, जिला अजमेर ।
   स्व0 लादूसिंह पुत्र दुलसिंह, जाति राजपूत, (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः–
4. देवीसिंह पुत्र स्व0 लादूसिंह,
5. साहब सिंह उर्फ चावडसिंह, पुत्र स्व0 लादूसिंह,
6. श्रीमती प्रेम कंवर पत्नि स्व0 लादूसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम बाड़ी, तह0 विजयनगर, जिला अजमेर
7. श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री स्व0 लादूसिंह, जाति राजपूत,
8. श्रीमती पुष्पा कंवर पुत्री स्व0 लादूसिंह, जाति राजपूत, निवासी स्वरूपगंज, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा ।
9. घनश्याम कंवर पुत्री स्व0 लादूसिंह, जाति राजपूत, नि0 ग्राम किशनावतों की खेड़ी, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
10. गोरधनसिंह पुत्र स्व0 चतरसिंह,
11. नारायण सिंह पुत्र स्व0 चतरसिंह,
    सभी जाति राजपूत, नि0ग्राम बाड़ी, तह0 बिजयनगर, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 21.9.2016 अंतर्गत वाद संख्या 16/2003.

उपस्थितः–

1. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता अपीलांटस।
2. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 4, 9 व 10.
4. रेस्पो0 संख्या 6 व 7 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 28.6.2019

1. हस्तगत दोनों अपीलें विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.9.2016 के विरूद्ध पृथक–पृथक इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण श्रीमती चन्द्रकांता पत्नि स्व0 मदनलाल, जाति सैन के विधिक वारिसान वादीगण रेस्पो0 मदनलाल, संजय कुमार, अक्षय कुमार, महेन्द्र कुमार ने अधी0न्याया0 में

एक वाद अंतर्गत धारा 88, 199 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाड़ी, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी विवादित आराजी खसरा नंबर 258 रकबा 5–15–00 व खसरा नंबर 259 रकबा 4–10–00 बीघा को खुद काश्त से चले आ रहे खातेदारान से क्रमशः दिनांक 9.7.1979 व 27.11.1978 को खरीद की है और इन पर वादिया का क्रय दिनांक से आदिनांक कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादिया ने आराजी संख्या 258 रकबा 5–15–00 बीघा भूमि खपातेदार लादूसिंह वल्द दूलसिंह राजपूत से दिनांक 9.7.1979 को क्रय की जिसका नामांतकरण संख्या 76 दिनांक 28.6.1980 से वादिया के नाम स्वीकृत कर दिया गया। इसी प्रकार आराजी खसरा संख्या 259 रकबा 4–10–00 बीघा भूमि खातेदार प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पिता स्व0 चतरसिंह वल्द रूघनाथ जाति राजपूत, निवासी बाड़ी से क्रय की है जिसका नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 12.3.1979 वादिया के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया लेकिन राजस्व कार्मिकों की गलती से इसका अमल दरामद राजस्व जमाबंदी में नहीं किया जा सका । भू–संशोधन सन् 1971–72 का समापन 1984 में हुआ और वर्किंग जमाबंदी कायम हुई जिसमें भू–संशोधन जमाबदी अनुसार वादिया का नाम नहीं लगाया गया है । वादिया के विक्रेतागण का विवादित आराजियात पर वर्तमान राजस्व एवं काश्तकारी अधिनियमों के प्रभाव में आने से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा था और वे खातेदार थे । क्रय दिनांक से वादिया का कब्जा काश्त चला आया है लेकिन वर्किंग जमाबंदी में वादिया के स्थान पर विवादित आराजियात को सरकारी खाते में लगा दिया गया है । अतः वाद बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे तथा वादिया को विवादित आराजियात में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसमें वादिया का नाम लगवाया जाकर अभिलेख दुरूस्ती कराई जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा वादिया के विवादित आराजियात में चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलदांजी से निषेद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.9.2016 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस देवीसिंह पुत्र स्व0 लादूसिंह वगैरह ने अपील संख्या 491/2016 देवीसिंह बनाम संजय कुमार व अन्य तथा राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ने अपील संख्या 507/2016 राज0सरकार बना संजय कुमार व अन्य पृथक–पृथक यह दो अपीलें इस न्यायालय में पेश की है।

3. दोनों अपीलें एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध होने तथा पक्षकारान, विवादित भूमियां तथा कानूनी बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

5. विद्वान वकील अपीलांटस (अपील संख्या 491/2015 देवीसिंह बनाम संजय कुमार व अन्य) के विद्वान अभिभाषक श्री शोकिन्दलाल गुर्जर ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व संपूर्ण दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये ही एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा पारित नजीरों का बिना अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 22.6.2016 को लोक अदालत कैम्प बाड़ी में बिना

आगामी तारीख पेशी बाबत् अपीलांटस को सूचित किये ही दिनांक 26.8. 2016 को प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना पत्र संख्या 16/2003 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 के विपरीत को वाद में मुर्तिब करने का आदेश पारित किया तत्पश्चात् आगामी तारीख पेशी दिनांक 1.9.2016 को वादपत्र को अभिलेख पर लेकर एकपक्षीय में कार्यवाही कर प्रकरण में बिना विधिक कार्यवाही किये अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 के तहत पक्षकार वादी/प्रार्थी की जानकारी में नहीं हो तो ही प्रकरण प्रस्तुति के बाद प्राप्त दस्तावेजात के आधार पर अभिवचनों में संशोधन किया जाने का प्रावधान है जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र को वाद में परिवर्तन व संपूर्ण अभिवचनों में परिवर्तन कर नया वाद प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 की आड़ में वादीगण/रेस्पो0 अपीलांटस को परेशान कर स्वंय की काबिज खातेदारी भूमि बाबत् न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होने के उपरांत भी आराजी से महरूम करने पर आमादा है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण का वादपत्र नहीं होकर प्रार्थना पत्र था, जिसको वाद पत्र संशोधित के आदेश की आड़ में नया वाद अंतर्गत धारा 88, 188 के प्रस्तुत किया जो उक्त कानून की मंशा के विपरीत है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात पर अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे है तथा काबिज होने से उन्हें धारा 91 राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत नोटिस भी दिये गयें है इसके विपरीत वादीगण कभी भी विवादित आराजियात पर काबिज काश्त नहीं रहे है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.9.2016 निरस्त किया जावे ।

6. अपील संख्या 507/2016 बउनवान राजस्थान सरकार बनाम संजय कुमार व अन्य में विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलांटस श्री धर्मवीर चौधरी ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं कानून के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । वादग्रस्त भूमियां ग्राम बाड़ी के राजस्व रिकार्ड में प्रारंभ से आज दिनांक तक सिवायचक मिल्कियत सरकार रही है । बहस में आगे कथन किया कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पूर्वजों द्वारा जिस वादग्रस्त भूमियों को रेस्पो0 संख्या 4 से 11 के पूर्वजों द्वारा क्रय करना बताया गया है वह भूमियां कभी भी राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज नहीं रही है बल्कि विवादित आराजियात प्रारंभ से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। वादीगण जिस समय खरीद करना कह रहे है उस समय भू–संशोधन की कार्यवाही चल रही थी जिसमें कूट कारित होने से राज्य सरकार द्वारा भू–संशोधन को मान्यता नहीं दे कर नई वर्किंग जमाबंदी बनाई गई जिसमें भी राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला में भूमि सिवायचक होने से वर्किंग जमाबंदी में सिवायचक दर्ज रही है । वादीगण ने विवादित आराजियात पर वैध कानूनी हक साबित करने के लिये निरन्तर कब्जे काश्त बाबत् कोई राजस्व रिकार्ड यथा गिरदावरी, जमाबंदिया आदि पेश नहीं किये है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.9.2016 निरस्त किया जावे तथा देवीसिंह वगै0 बनाम संजय कुमार व अन्य अपील संख्या 491/2016 भी खारिज

की जावे तथा विवादित आराजियात को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलांटस अपील संख्या 507/2016 ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व वाद संख्या 16/2003 उनवान श्रीमती चन्द्रकांता व अन्य बनाम राज0 सरकार के निर्णय दिनांक 21.9.2016 की पालना करने बाबत् पत्र प्राप्त होने पर राजकीय हित निहित होने से नियमानुसार प्रकरण में कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर से निर्देश प्राप्त किये गये । जिला कलक्टर के यहां से अपील करने बाबत् कार्यवाही के निर्देश जरिये पत्र क्रामंक 70 दिनांक 6.12.2016 को प्राप्त होने पर नियमानुसार जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील पेश करने में हुई देरी प्रशासनिक कार्यवाही में लगे समय से हुई है । अतः दिनांक 21.9.2016 से आज दिनांक 19.12.2016 तक के समय में छुट दी जाकर न्याय हित में अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 1 से 3/वादीगण (अपील संख्या 491/2015 देवीसिंह बनाम संजय कुमार व अन्य) के विद्वान अभिभाषक श्री ज्ञानचंद गदिया ने बहस में निवेदन किया कि वादीगण/रेस्पो0 ने विवादित आराजी खसरा नंबर 258 रकबा 5–15–00 बीघा खातेदार लादूसिंह वल्द दूलसिंह जाति राजपूत, से दिनांक 9.7.1979 को क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया था तथा उक्त क्रय के आधार पर वादीगण/रेस्पो0 के नाम नामांतकरण संख्या 76 दिनांक 28.6.1980 को स्वीकृत किया गया है । इसी प्रकार खसरा नंबर 259 रकबा 4–10–00 बीघा भूमि को भी खातेदार प्रतिवादी संख्या 5 व 6 गोरधनसिंह व नारायणसिंह के पिता स्व0 चतरसिंह वल्द रूघनाथसिंह से दिनांक 27.11.1978 को क्रय की थी तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण/रेस्पो0 के पक्ष में नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 12.3.1979 स्वीकृत किया गया है । विवादित भूमियां क्रय की दिनांक से वादीगण/रेस्पो0 ही विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अपील संख्या 491/2016 के अपीलांटस के पूर्वजों द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 को विवादित आराजियात का विक्रय किये जाने से अपीलांटस का विवादित आराजियात में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रह गया है जिससे अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने बहस में आगे कथन किया कि विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरणों का राजस्व कार्मिकों की गलती से राजस्व जमाबंदी में अंकन नहीं किया जा सका तथा विवादित भूमियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया । बहस में यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात की विक्रय दिनांक को विक्रेतागण विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार थे जिन्हें आराजियात विक्रय करने का पूर्ण विधिक अधिकार था इसलिये राज्य सरकार को भी अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः दोनों अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम राजस्थान सरकार जरिये विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 507/2016 बउनवान राज0 सरकार बनाम संजय कुमार व अन्य में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान

राजकीय अधिवक्ता अपीलांटस ने अपील में विलंब का मुख्य कारण प्रशासनिक कार्यवाही में लगे समय से होना बताया है । विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा विलंब का जो कारण अंकित किया है वह उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होता है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील संख्या 507/2016 बउनवान राज0 सरकार बनाम संजय कुमार व अन्य को अंदर मियाद शुमार किया जाता है ।

10. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपील संख्या 491/2016 के अपीलांटस का कथन है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । इसी प्रकार अपील संख्या 507/2016 के विद्वान अभिभाषक अपीलांटस का मुख्य कथन है कि विवादित आराजियात प्रारंभ से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी जिससे वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के विक्रेतागण को विवादित आराजियात विक्रय करने का अधिकार नहीं था। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श एक्जी–1 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.7.1979 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा संख्या 258 का विक्रय लादूसिंह वल्द मूलसिंह उर्फ दूलसिंह, जाति राजपूत निवासी बाड़ी द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की माता श्रीमती चन्द्रकांता सेन पत्नि मदनलाल सैन को किया गया है। इसी प्रकार प्रदर्श एक्जी–2 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.11.1978 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 259 रकबा 4–10–00 बीघा भूमि चतरसिंह वल्द रूघनाथ, जाति राजपूत द्वारा वादीगण/रेस्पो0 की माता श्रीमती चन्द्रकांता पत्नि मदनलाल सैन को विक्रय किया गया है । उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा वादीगण/अपीलांटस के विक्रेतागण को खातेदार मानकर नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 12.3.1979 एवं नामांतकरण संख्या 76 दिनांक 28.6.1980 को क्रेता श्रीमती चन्द्रकांता के नाम स्वीकृत किये गये है । इसलिये अपीलांटस राज्य सरकार का यह कथन कि विवादित भूमि प्रारंभ से सिवायचक दर्ज थी, उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक विक्रेतागण के वारिसान द्वारा अपील किये जाने का प्रश्न है चूंकि विक्रेतागण के पूर्वज स्व0 लादूसिंह एवं चतरसिंह द्वारा विवादित भूमियों का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.1.1979 एवं 27.11.1978 से वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की माता श्रीमती चन्द्रकांता को विक्रय किया जाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तथा उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर क्रेता श्रीमती चन्द्रकांता के नाम नामांतकरण संख्या 68 एवं 76 भी स्वीकृत किये जा चुके है । एक बार विवादित भूमि का जरिये पंजीकृत विक्रय किये जाने के उपरांत विक्रेता के विधिक वारिसान का विवादित आराजियात में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रह जाता है । अपीलांटस यदि उपरोक्त विक्रयपत्रों को सही नहीं मानते है तो उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय से उक्त विक्रयपत्रों को निरस्त कराये बिना किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । उपरोक्त विक्रयपत्रों के प्रभाव में रहते अपील संख्या 491/2016 बउनवान देवीसिंह व अन्य बनाम संजय कुमार व अन्य के अपीलांटस को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु तीन तनकियात कायम कर प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है ।

11. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील दोनों अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.9.2016 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

12. अतः अपील अपीलांटस अपील संख्या 491/2016 बउनवान देवीसिंह व अन्य बनाम संजय कुमार व अन्य तथा अपील संख्या 506/2016 बउनवान राजस्थान सरकार बनाम संजय कुमार व अन्य को खारिज किया जाता है तथा विद्वान सहायक कल्क्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.9.2016 को यथावत् रखा जाता है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर